(44) संख्या– 1508 /VI(1)/2011–02(03)/2008

प्रेषक,

श्री राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 08 जुलाई, 2011

विषयः–जनपद पिथौरागढ़ के विण ब्लॉक क्षेत्रान्तर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0 द्वारा निर्मित जाख–पुरान, मेलडूंगरी ग्राम में बनाये गये सी0सी0 मार्ग की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–110/2–6–449(अनु.जा.उ.यो.)/2007–08, दिनांक 23 जून, 2011 द्वारा किये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–361/VI/2008–2(3)2008, दिनांक 27 मार्च, 2008 द्वारा स्वीकृत एस0सी0पी0 योजनान्तर्गत जाख–पूरान, मेलडूंगरी से रामेश्वर तक पर्यटक परिपथ का विकास योजना हेतु स्वीकृत धनराशि ₹ 114.44 लाख के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि ₹ 40.00 लाख का उपयोग किये जाने के उपरान्त कार्य 5 प्रतिशत कम की दर में कराये जाने से हुई बचत ₹ 5.72 लाख की धनराशि को स्वीकृत आगणन लागत में से कम करते हुए अब स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि ₹ 68.72 लाख (रूपये अड़सठ लाख बहत्तर हजार मात्र) व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त धनराशि का उपयोग शासनोदश संख्या–361/VI/2008–2(3)2008, दिनांक 27 मार्च, 2008 में उल्लिखित शर्तो के अनुसार किया जायेगा।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2012 से पूर्व पूर्ण उपयोग कर धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

4– कार्य प्रारम्भ के समय सम्बंधित निर्माण एजेन्सी कार्यस्थल पर इस आशय का एक साईन बोर्ड स्थापित करेगा कि उक्त योजना/कार्य पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड के सौजन्य से किया जा रहा है, योजना प्रारम्भ करने का समय, इसकी लागत, पूर्ण करने का समय तथा कार्यदायी संस्था का विवरण भी अंकित किया जायेगा। सम्बन्धित जिला पर्यटक विकास अधिकारी उक्त कार्य का समय–समय पर भौतिक निरीक्षण कर कार्य की भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह शासन को अवगत करायेगें एवं कार्य पूर्ण होने की सूचना व योजना का फोटोग्राफ्स अवश्य शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करायेगा।

5– कार्य के प्रति पूर्ण भुगतान करने से पूर्व किसी तृतीय पक्ष से इसकी गुणवत्ता की चेकिंग का कार्य उक्त अनुमोदित लागत से कराये जाने के बाद कार्य अनुमोदित आगणन के अनुसार होने की पुष्टि पर ही भुगतान किया जायेगा। यह दायित्व निदेशक पर्यटन का होगा। अतः निदेशक पर्यटन Third party Monitering की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।

..2

6– एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय।

7– व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8– सभी योजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि एवं न्यूनतम निविदा के सापेक्ष होने वाली बचत का विवरण एवं धनराशि कार्यदायी संस्थाओं से पर्यटन निदेशालय द्वारा प्राप्त कर राजकोष में जमा करायी जायेगी और शासन को अवगत कराया जायेगा।

9– उपरोक्त योजनाओं की स्वीकृति एवं धनराशि अवमुक्त से सम्बन्धित पूर्व शासनादेश में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

10– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्द्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–47–पर्यटन विकास की चालू योजनायें–24–वृहत् निर्माण कार्य मद के नामें डाला जायेगा।

11– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 के प्राविधानों द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्याः– 1508 /VI(1)/2011–02(03)2008, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल।
4– जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
5– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल।
8– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पिथौरागढ़।
9– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
10– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।